<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-408 / 2012</u> <u>संस्थित दिनांक-18.05.2012</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त बैहर ———— **अभियोजन**

विरुद्ध

बीरनलाल पिता गुलचरण , उम्र 43 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 15, गढी, थाना गढी जिला—बालाघाट(म.प्र.)

– – – <u>आभयुक्त</u>

<u>निर्णय</u>

आज दिनांक 27.10.2014 को घोषित) निष्कर्ष

अभियुक्त को स्वेच्छया पूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के आरोप में दोषी पाया जाता है। उक्त अपराध के लिये अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500/— रूपये (शब्दों में पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 1 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा सम्पत्ति नष्ट की जावे। विधिवत् आबकारी विभाग को वापस की जावे।

> (सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला—बालाघाट